पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अगस्त, 2018 ई0 (श्रावण 20, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	443–452	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	527–530	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	165–187	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

21 जून, 2018 ई0

संख्या 1227/VII–3–18/182–उद्योग/2001–श्री राज्यपाल महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2006) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियम और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् (सु0ल0उ0सु0प0) के प्रयोजनार्थ कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद्, नियमावली, 2018 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ

2. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2006) अभिप्रेत है;

(ख) "माध्यरस्थम एवं सुलह अधिनियम" से माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम सं0 26, वर्ष 1996) अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 20 के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् अभिप्रेत हैं;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सम्मिलित है, अभिप्रेत हैं;

(च) "संस्था" से कोई ऐसी संस्था या केन्द्र, जो अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवा प्रदान कर रहा हो, अभिप्रेत हैं;

(छ) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ज) "सूक्ष्म एवं लघु उद्यम" इकाई से अधिनियम में परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम अभिप्रेत हैं;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत हैं;

(ञ) प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में दिये गए हैं।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् का गठन

3. (1) सरकार राज्य में कम से कम एक सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् का गठन करेगी;

परन्तु यह कि यदि कार्य की माँग ऐसी हो तो एक से अधिक परिषद् का गठन किया जा सकेगा।

(2) सरकार सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को यथा आवश्यक सचिवीय संघटन हेतु सहयोग प्रदान करेगी एवं परिषद् के सचिवीय कार्यों के निस्तारण हेतु सक्षम विभागीय अधिकारी को नामित कर सकेगी, जो परिषद् के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने तथा परिषद् की ओर से नोटिस/आदेश जारी करने हेतु अधिकृत होंगे।

(3) सरकार आवश्यकतानुसार परिषद् को विधि परामर्शी उपलब्ध करा सकेगी।

(4) सरकार, प्रार्थना–पत्र शुल्क तथा कार्यवाही शुल्क निर्धारित करेगी।

(5) परिषद् के सचिवालय की अपनी मुद्रा (seal) होगी।

अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति

4. अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (1) के उपखण्ड (i) में निहित प्राविधानों के अधीन सरकार महानिदेशक/आयुक्त उद्योग को परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त करेगी:

परन्तु यह कि सरकार विभाग के निदेशक, उद्योग को भी परिषद् के सीमित कार्य हेतु परिषद् का अध्यक्ष मनोनीत कर सकती है।

परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की रीति

5. (1) सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् 3 से अन्यून तथा 5 से अनाधिक सदस्यों (अध्यक्ष को मिलाकर) से मिल कर गठित की जायेगी।

(2) सरकार अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ii), (iii) एवं (iv) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii), (iii) एवं (iv) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य परिषद् का सदस्य नहीं रह जायेगा/जायेगी, यदि वह उस श्रेणी या हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता/करती है, जिसमें से उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया था।

(4) यदि परिषद् के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाये या उसके द्वारा त्याग–पत्र दे दिया जाय या उसे पद से हटा दिया जाय या वह सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाय, तब राज्य सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।

(5) परिषद् का कोई सदस्य राज्य सरकार को एक माह की लिखित रूप में सूचना देकर परिषद् से त्याग–पत्र दे सकता है।

किसी सदस्य का हटाया जाना

6. राज्य सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि:–

(एक) वह विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय से इस प्रकार घोषित हो; या

(दो) वह शोधाक्षम या दिवालिया हो या अपने ऋणदाताओं के भुगतान को लम्बित रखता हो; या

(तीन) वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं0 45, वर्ष 1860) के अधीन दण्डनीय हो; या

(चार) वह अध्यक्ष से अवकाश लिए बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों से और किसी भी दशा में लगातार पाँच बैठकों से अनुपस्थित रहा हो; या

(पाँच) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो, जिससे सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(छः) सरकार ऐसे नामित सदस्य के कार्यों से सन्तुष्ट न हो, तो एक माह का नोटिस देकर

परिषद् के सदस्यों को मानदेय

7. सदस्यों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक, मानदेय या शुल्क तथा भत्ते उसी दर पर दिए जायेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित/अधिसूचित किए जायें।

परिषद् के कृत्यों के निष्पादन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

8. (1) व्यथित सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई, उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को अनुसूची 1 में दिए गए प्ररूप में लिखित में निर्देश कर सकेगी। सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई, प्ररूप तथा आवेदन के साथ अनुसूची 1 में निर्धारित प्ररूप में अपना उद्योग आधार मैमोरेन्डम संख्या, मोबाइल सं0 एवं ई–मेल पता उपलब्ध करायेगी।

(2) ऐसा निर्देश ऐसे निर्धारित शुल्क/प्रक्रिया शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो तथा आवेदन में इस आशय की भी घोषणा होगी कि किसी भी सिविल न्यायालय में इस संदर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है।

शुल्क व प्रक्रिया शुल्क की दरें:—सूक्ष्म उद्यम – ₹ 5,000

लघु उद्यम – ₹ 10,000

(3) इस प्रकार प्राप्त शुल्क/प्रक्रिया शुल्क परिषद् के कृत्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजित होने वाली बैठकों, स्टेशनरी व अन्य आनुषांगिक मदों तथा सदस्यों के मानदेय, कोर्ट फीस व अन्य विविध व्ययों पर व्यय किया जायेगा।

(4) विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई से संदर्भ प्राप्त होने पर परिषद् का सचिवालय इस हेतु भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल पर पूर्ण सूचना दर्ज करेगा।

(5) सूचना दर्ज करने के उपरान्त, परिषद् सचिवालय, विक्रेता सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई को संदर्भ की पावती उपलब्ध करायेगा।

(6) परिषद्, विक्रेता सूक्ष्म तथा लघु उद्यम इकाई के द्वारा प्रस्तुत निर्देश की आरम्भिक स्तर पर शुल्क तथा सक्षमता सम्बन्धी जाँच करेगी।

(7) यदि निर्देश या किसी भी निर्देश में दर्ज किए गए विवरण परिषद् द्वारा संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं तो वह सम्बन्धित निर्देश को वापिस कर सकेगी।

(8) परिषद् अपने समक्ष रखे गए प्रत्येक निर्देश में या तो स्वयं सुलह करवायेगी या आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान कर रहे किसी संस्थान की सहायता लेगी तथा यदि वह ऐसा निश्चय करती है तो सुलह कराने हेतु पक्षकारों को संस्थान के पास भेजेगी।

(9) संस्थान, जिसे सुलह के लिए संदर्भित किया गया है, पक्षकारों के मध्य सुलह कराने का प्रयास करेगा और सामान्यतः अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष परिषद् से सन्दर्भ प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(10) जहाँ पर पक्षकारों के मध्य कोई समझौता नहीं हो सका है तथा समझौता प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहाँ पर परिषद् या तो वाद को स्वयं अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्रहण करेगी, जैसे कि माध्यस्थम अथवा वाद को ऐसे संस्थान को सन्दर्भित करेगी, जो इस प्रयोजन हेतु बनाये गये हैं।

(11) यदि वाद संस्थान को भेजा गया है, तो संस्थान "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996" में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा पंचाट परिषद् को सन्दर्भित करेगा। संस्थान से सन्दर्भित अवार्ड या अवार्ड प्राप्त होने पर परिषद् वाद पर विचार करेगी एवं मामले में युक्तियुक्त अन्तिम आदेश पारित करेगी।

परिषद् की बैठक एवं कोरम (गणपूर्ति)

9. (1) सामान्यतः परिषद् की कोई बैठक कम से कम सात दिन के नोटिस के पश्चात् आयोजित की जायेगी, किन्तु अति आवश्यकता की दशा में इससे कम अवधि के नोटिस पर, जैसा अध्यक्ष उपयुक्त समझे, बैठक बुलाई जा सकेगी।

(2) बैठक के लिए नोटिस/सूचना पक्षकारों को केवल एस0एम0एस0 और ई–मेल द्वारा दी जायेगी।

(3) परिषद् की बैठक नियमित रूप से आयोजित होगी, जो माह में कम से कम एक बार होगी।

(4) परिषद् की बैठक की गणपूर्ति, जहाँ कुल नामित सदस्य संख्या तीन अथवा चार हों, दो सदस्य होगी तथा जहाँ परिषद् के कुल सदस्य संख्या पाँच हैं, वहाँ तीन होगी।

परिषद् के निर्णय 10. (1) परिषद् का कोई विनिश्चय परिषद् की बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत परिषद् को प्रस्तुत किसी भी निर्देश का निर्णय निर्देश प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जायेगा।

(3) ऐसे निर्देश, जिनमें समझौता प्रक्रिया सफल नहीं हुई हो, वहाँ पर परिषद् द्वारा माध्यस्थम पंचाट "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996" के अनुसार दिया जायेगा और पक्षकारों को निर्णित पंचाट की प्रतियाँ सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जायेंगी।

(4) परिषद् सचिवालय प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त इस उद्देश्य के लिए बनाये गये वेब पोर्टल पर दर्ज करेगा।

(5) परिषद् द्वारा पारित पंचाट या कोई अन्य आदेश अपास्त करने के लिए कोई भी प्रार्थना–पत्र किसी भी न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि अपीलकर्ता (विक्रेता नहीं) पंचाट या अन्य आदेश, जैसी भी स्थिति हो, की 75 प्रतिशत धनराशि अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जमा नहीं करेगा।

प्रगति सूचना 11. (1) परिषद् द्वारा सामान्य सूचनाओं के साथ–साथ वार्षिक प्रगति रिपोर्ट इस हेतु बनाये गये वेब पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।

(2) परिषद् अधिनियम में परिभाषित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य सचिव को ऐसी रीति से और प्ररूप में, जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित हो, सूचना उपलब्ध करायेगी।

कठिनाईयों का निराकरण 12. यदि इन नियमों को लागू करने या इनके निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2006) के प्राविधानों के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,

प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–4

कार्यालय–ज्ञाप

17 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 1188/XX–4/2018–1(37)/2007–मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 11.07.2018 में पारित निर्णय के क्रम में अधिसूचना संख्या–235/बीस–4/2018–1(37)/2007, दिनांक 17.07.2018 के द्वारा 'उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018' प्रख्यापित की गई है।

यह नियमावली निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

17 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 235/XX–4/2018–1(37)/2007–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम–8(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
8 (1) शैक्षिक अर्हताएँ–विद्यालय शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो।	8 (1) शैक्षिक अर्हताएँ–विद्यालय शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो।

नियम–10 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
10. आयु–सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उसके कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए; परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	10. आयु–सीधी भर्ती के लिए किसी महिला अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए; परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, महिला अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम–14 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम–14(2)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
14. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया(2)(क)–लिखित परीक्षा 100 अंकों, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के विषय की होगी, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे,	14. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया(2)(क)–शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों द्वारा अधिकतम 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा में प्रतिभाग किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें से 50 अंक सामान्य अध्ययन के प्रश्नों हेतु तथा 50 अंक सामान्य तर्क शक्ति के प्रश्नों हेतु निर्धारित होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

नियम–15 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम–15(3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
15. (3) लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थिनियों का शारीरिक परीक्षण उक्त उप नियम (1) के अनुसार किया जायेगा। शारीरिक परीक्षण में असफल रहने वाली अभ्यर्थिनियों के स्थान पर उसके वर्ग की प्रतीक्षा सूची में अगली अभ्यर्थीनी को शारीरिक परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक परीक्षण केवल अर्हकारी परीक्षा है और इसके अतिरिक्त कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।	15. शारीरिक योग्यता (3)–भर्ती हेतु आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक नापजोख नियमावली के नियम 15(1) में दिये गये विवरण के अनुसार होगी। शारीरिक नापजोख में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक 100) निम्न विवरणानुसार होगी, जिसमें महिला अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे तथा किसी भी आईटम में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा–

क्र0	आईटम का नाम	दूरी/समय	अंक
1.	चिनिग–अप (बीम) (पूर्णांक 50) (अभ्यर्थी अण्डर ग्रिप/ ओवर ग्रिप, जो चाहे कर सकता है)	5 बार छूना, 6 बार छूना, 7 बार छूना, 8 बार छूना	25 30 40 50

क्र0	आईटम का नाम	दूरी / समय	अंक
2.	दौड़ व चाल {(02 किमी0) पूर्णांक 50}	15 मिनट में, 14 मिनट में, 12 मिनट में, 10 मिनट में	25 30 40 50

नोट—(1) शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी।

(2) उपरोक्त लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके, चयन सूची निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक महिला अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी शैक्षिक योग्यता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 235/XX-4/2018-1(37)/2007**, Dehradun, dated July 17, 2018 for general information.

NOTIFICATION

July 17, 2018

No. 235/XX-4/2018-1(37)/2007--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following Rules in the view making further amendment in the Uttarakhand Female Jail Warders Service Rules, 2011.

The Uttarakhand Female Jail Warders Service (Amendment) Rules, 2018

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Female Jail Warders Service (Amendment) Rules, 2018.

(2) The shall come into force at once.

Amendment of Rule-8

2. In Uttarakhand Female Jail Warders service Rule] 2011 (hereinafter referred to as principal Rule) existing rule 8(1) as set out in Column-1 below as rule set out in Column-2 shall be substituted; Namely :--

Column-1 *Existing Rules*	**Column-2** *Rule as hereby substituted*
8. (1) **Educational Qualification**—Must have passed the high School examination exam from the School Education Council, Uttarakhand or an examination recognized as equivalent by the Governor.	8. (1) **Educational Qualification**—Must have passed the Inter mediate examination from the School Education Council, Uttarakhand or an examination recognized as equivalent.

Amendment of Rule—10

3. In rule-10 of the Principal rules for the existing rule as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted; namely:--

Column-1	Column-2
Existing rule	*Rule as here by substituted*
10. **Age**—A candidates for direct recruitment to the Service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age more than 35 years, on July, 1st of the calendar year in which recruitment is to be made. Provided that the upper age limit in the case of candidate belong to Scheduled caste/ Scheduled tribes/other backward classes of the State of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	10. **Age**—Female candidates for direct recruitment to the service must have attained the age of 21 years and must not have attained the age more than 35 years, on July, 1st of the calendar year in which recruitment is to be made. Provided that the upper age limit in the case of female candidate belong to Scheduled caste/ Scheduled tribes/other backward classes of the State of Uttarakhand as may be notified by the Govt. from time to time shall be more by such number of years as may be specified.

Amendment of Rule—14

4. In rule 14(2)(a) of the Principal rules for the existing rule as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted; namely:--

Column-1	Column-2
Existing rule	*Rule as here by substituted*
14. **Procedure for direct recruitment 2(a)**—There shall be multiple choice objective type written examination of General knowledge and General studies of 100 marks.	14. **Procedure for direct recruitment 2(a)**—Female candidate qualified physical fitness shall appear in multiple choice objective written examination of maximum 100 marks. Maximum 100 marks for written examination is fixed in which 50 marks for General studies question and 50 marks for General reasoning ability question shall be fixed. It is compulsory to score 33 percent marks in written examination.

Amendment of Rule—15

5. In rule 15(3) of the Principal rules for the existing rule as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted; namely:--

Column-1	Column-2
Existing rule	*Rule as here by substituted*
15.(3) The physical test shall be made according sub-rule (1) above of the selected candidates in the written examination. In place of failure candidate in physical test the next candidates a waiting list of his group shall be called for physical test is only eligibility examination an no mark shall be award for this.	15.(3) Female candidate applied for recruitment should go through the physical measurement test according to Rule-15(1) of Principal Rules. Candidate who passed in physical measurement test are only eligible for physical fitness test.

Column-1

Existing rule

Column-2

Rule as here by substituted

Physical fitness test is of 100 marks, in which it is compulsory to obtain minimum 50 marks to pass the physical efficiency test and in case of scoring less than 50 Percent marks in any item candidate shall be disqualified from selection procedure at that stage :

S. No.	Item Name	Distance/ time	Marks
1.	Chining-up (Beam) (Maximum, marks 50) (Candidate may do it with under grip/ over grip	Touching 5 times Touching 6 times Touching 7 times Touching 8 times	25 30 40 50
2.	Running/Walk (2 km) (Maximum, marks 50)	In 15 min., In 14 min., In 12 min., In 10 min.,	25 30 40 50

Note—1. Physical fitness test shall be done according to the above serial order.

2. Selected list shall be determined by including marks of written marks and physical fitness test Merks. If two or more female candidate score same marks then seniority shall be determined firstly on the basis of educational qualification and there after on the basis of their age.

By Order,

ANAND BARDHAN,

Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/434—भाग 1—2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अगस्त, 2018 ई0 (श्रावण 20, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 09, 2018

No. 214/UHC/XIV/50/Admin.A--Sri Pradeep Pant, District & Sessions Judge, Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 06 days *w.e.f.* 21.05.2018 to 26.05.2018 with permission to prefix 20.05.2018 as Sunday holiday and suffix 27.05.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 09, 2018

No. 215/UHC/XIV/49/Admin.A--Sri C. P. Bijalwan, District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 18.06.2018 to 30.06.2018 with permission to prefix 16.06.2018 and 17.06.2018 as holidays and suffix 01.07.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 09, 2018

No. 216/XIV/74/Admin.A/2003--Sri Bharat Bhushan Pandey, Additional District Judge, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 11.06.2018 to 29.06.2018 with permission to prefix 09.06.2018 & 10.06.2018 as holidays for the purpose of Home Town LTC.

NOTIFICATION

July 09, 2018

No. 217/UHC/XIV/9/Admin.A/2008--Sri Chandramani Rai, 2nd Additional District Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 18.06.2018 to 27.06.2018 with permission to prefix 16.06.2018 and 17.06.2018 as holidays.

NOTIFICATION

July 10, 2018

No. 218/UHC/XIV-a/30/Admin.A/2012--Sri Sanjay Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 21.06.2018 to 30.06.2018 with permission to suffix 01.07.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 10, 2018

No. 219/UHC/XIV-62/Admin.A/2004--Sri Amit Kumar Sirohi, Additional District Judge, Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 21.06.2018 to 30.06.2018 with permission to suffix 01.07.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 10, 2018

No. 220/UHC/XIV-a/57/Admin.A/2012--Ms. Arti Saroha, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 21.06.2018 to 30.06.2018 with permission to suffix 01.07.2018 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

July 13, 2018

No. 221/UHC/Admin.A/2018--Smt. Payal Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is posted as Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Hardwar *vice* Sri Rajesh Kumar.

NOTIFICATION

July 13, 2018

No. 222/UHC/Admin.A/2018--Sri Rajesh Kumar, Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Hardwar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, *vice* Smt. Payal Singh.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

July 16, 2018

No. 223/UHC/XIV-1/Admin.A/2008--Sri Ambika Pant, Additional District Judge, Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 25.06.2018 to 07.07.2018 with permission to prefix 24.06.2018 as Sunday holiday and suffix 08.07.2018 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

08 जून, 2018 ई0

पत्रांक 552/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UK03B1234 (MOTOR CAR), मॉडल 2017, चेसिस MA1NA2SMXH6E38614, इंजन नं0 SMH6E35827, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री जय सिंह पाल पुत्र श्री जमना प्रसाद पाल, निवासी मकान नं0 81, वार्ड नं0 6, घसियारा मण्डी, टनकपुर, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 14/05/2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08.06.2018 को वाहन संख्या UK03B1234 (MOTOR CAR), मॉडल 2017, चेसिस MA1NA2SMXH6E38614, इंजन नं0 SMH6E35827 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

08 जून, 2018 ई0

पत्रांक 553/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UK03TA0528 (JEEP.TAXI), मॉडल 2012, चेसिस MA3EAA61S02087642, इंजन नं0 F8DN4867183, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री चंचल सिंह पुत्र श्री जमन सिंह चाचड़ी, पोस्ट दिगालीचौड़, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 14/05/2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08.06.2018 को वाहन संख्या UK03TA0528 (JEEP TAXI), मॉडल 2012, चेसिस MA3EAA61S02087642, इंजन नं0 F8DN4867183 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

28 जून, 2018 ई0

पत्रांक 621/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UK03B3151 (MOTOR CYCLE), मॉडल 2017, चेसिस MBLJAR035H9H40136 इंजन नं0 JA05EGH9H38108, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री हरीश मुरारी पुत्र श्री बंशीधर मुरारी, निवासी पाटन पाटनी, लोहाघाट, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 14/05/2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन आग से जल कर नष्ट हो गया) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28.08.2018 को वाहन संख्या UK03B3151 (MOTOR CYCLE), मॉडल 2017, चेसिस MBLJAR035H9H40136, इंजन नं0 JA05EGH9H38108 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

03 जुलाई, 2018 ई0

पत्रांक 641/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UK03CA0292 (LGV), मॉडल 2010, चेसिस MA1ZN2GHKA1L68033, इंजन नं0 GHA1L73075, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री अम्बादत्त भट्ट पुत्र श्री हरि दत्त भट्ट, निवासी ग्राम–मनौली, पोस्ट–अमोड़ी, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 17/04/2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन 16.04.2015 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 03.07.2018 को वाहन संख्या UK03CA0292 (LGV), मॉडल 2011, चेसिस MA1ZN2GHKA1L68033, इंजन नं0 GHA1L73075 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर, चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/434–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अगस्त, 2018 ई0 (श्रावण 20, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून

सार्वजनिक सूचना

23 मई, 2018 ई0

पत्रांक 62 / उपविधि–प्रकाशन / 2017–18–नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–298(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128(1)(i) के तहत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्ति कर / भवनकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून द्वारा "सम्पत्ति / भवनकर उपविधि–2016" बनाई गई है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति / भवनकर उपविधि–2016

1. संक्षिप्त नाम , प्रसार और प्रारम्भः–

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून "सम्पत्ति / भवनकर उपविधि–2016" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँः—

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि मेंः—

(क) "नगरपालिका" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमा से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—140 व धारा—141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) "सम्पत्ति/भवनकर" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—18 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर, कर से है।

(झ) "समिति" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(ञ) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।

(ट) "स्वामी" का तात्पर्य, भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

(ठ) "अध्यासी" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराए में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3. वार्षिक मूल्यांकनः—

नगरपालिका सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—141(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगरपालिका द्वारा समय—समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, चाहे वे सदस्य हों या न हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी, ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित शैड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गई धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आँकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथास्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया, भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किए जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1699 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किया जाए और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे, जैसे निहित किया जाएं।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात), जो किराए पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलेक्टर द्वारा तत्समय किराए हेतु प्रचलित सर्किल रेट से, जो भी अधिकतम् हों, के अनुसार किराए के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर, मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराए को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगरपालिका की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गई हो, अत्यधिक हों, वहाँ पर नगरपालिका किसी भी कम धनराशि पर, जिसमें एकरूपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो, का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

(1) वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगीः–

(i) कक्ष–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ii) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह–आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(iv) गैराज–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

(2) उ0प्र0 शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराए को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(3) सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4. भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर करः–

भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगेः–

(क) मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाएँ, जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराए पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होंगे।

(ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि, जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।

(ग) नगरपालिका की समस्त सम्पत्तियाँ।

5. कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशनः–

भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–141 के अधीन तैयार की गई सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार–पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्ति/भवनकर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगरपालिका कार्यालय में आकर, कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्डवार क्रम संख्या देते हुए, आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6. आपत्तियों का निस्तारणः—

भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरपालिका अधिनियम—1916 की धारा—104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी, बोर्ड द्वारा नगरपालिका अधिनियम,1916 की धारा—112 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उपरान्त निम्न प्रकार से किया जायेगाः—

(i) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए, आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी,

(ii) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,

(iii) शासनादेश सं0 2054/नौ—9—97—79ज/97, दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिए गए निर्देशानुसार की जायेगी।

7. कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षाः—

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा,

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगरपालिका कार्यालय में जमा की जायेगी,

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवनकर माँग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय—समय पर दिए गए निर्देशानुसार करनी होगी।

8. पंचवर्षीय भवनकर निर्धारण की औपचारिकताएँ पूण होने के पश्चात् सम्पत्ति/भवनकर की वार्षिक माँग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पत्ति/भवनकर की धनराशि, भवन स्वामी/अध्यासी को पालिका कार्यालय अथवा निकाय द्वारा वसूली हेतु अधिकृत को जमा कर, रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि सम्पत्ति कर/भवनकर की धनराशि 31 मार्च तक जमा नहीं होती है तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि अधिभार सहित भू—राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण—पत्र (आर0सी0) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

9. सम्पत्ति/भवनकर की वार्षिक माँग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष में 30 अक्टूबर तक सम्पत्ति/भवनकर की धनराशि एकमुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जो बकाया सम्पत्ति/भवनकर के बकायेदार पर लागू नहीं होगी।

10. कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की एसेसमेंन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो, उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

11. जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी, जिसकी बोर्ड ने उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 143(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा, जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दें।

12. (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार, जिस पर यह कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकारी हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गई हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गई हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी, जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

13. (1) सूचना में, जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिए जायेंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति, जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गई हो, अधिशासी अधिकारी के माँगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गई है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 ई0 के अनुसार ली गई हो, पेश करेगा।

14. उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 151(1) से (5) तक दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत अनअध्यासन के कारण सम्पत्ति कर/भवनकर में तद्नुसार छूट प्रदान की जायेगी।

शास्ति

उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, डोईवाला एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड ₹ 1,000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो ₹ 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

सार्वजनिक सूचना

23 मई, 2018 ई0

पत्रांक 62/उपविधि–प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 की उपधारा–2, खण्ड (ज) का (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 के तहत विज्ञापन पटों को नियन्त्रित करने एवं विज्ञापन शुल्क वसूली के उद्देश्य से "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि 2016" नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून द्वारा बनाई जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2016

1. संक्षिप्त नाम , प्रसार और प्रारम्भः–

   (क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2016" कहलायेगी।

   (ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

   (ग) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँः–

   किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि मेंः–

   (क) "नगरपालिका" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून से है।

   (ख) "सीमा" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमाओं से है।

   (ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला से है।

   (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

   (ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।

   (च) "अधिनियम" का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

   (छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, डोईवाला की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापन पट, होर्डिंग, यूनिपोल, बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री से हैं।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगे, छोटे यूनिपोल पेन्टेड सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी 5×3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊँचाई पर होंगे। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होगी।

4. यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना न होने के उद्देश्य से जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ से इन यूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

5. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साइज 20×10 फिट होगा।

6. होर्डिंग, दो लोहे/पाइप के स्तम्भ एवं यूनिपोल लोहे/पाइप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिए, जिससे आँधी, तूफान आदि से न गिर पायेगी। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इन्जीनियर की रिपोर्ट आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7. मुख्य चौराहों व मोड़ों पर 25–25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

8. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनिक कोड नम्बर तय किया जायेगा, जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार–प्रकार, होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।

9. नगरपालिका सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 जनवरी से 31 मार्च तक किया जायेगा।

10. नगरपालिका परिषद्, डोईवाला में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किए जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि ₹ 20,000.00 पालिका कोष में जमा करानी होगी, तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 5,000.00 की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगरपालिकाकोष में जमा करनी होगी।

11. नगरपालिका सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि का न्यूनतम निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। विज्ञापन शुल्क हेतु निर्धारित दरें निम्नवत् होगी अथवा निर्धारित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी दिया जा सकता है:–

विज्ञापन शुल्क की दरें

क्र0 सं0	विवरण	दर (₹ में)	यूनिट
1.	एन0एच0/प्रान्तीय मार्गों के किनारे स्थित विज्ञापन/होर्डिंग्स (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हों)	100.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
2.	नगरपालिका के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हों)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
3.	इन्डीकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3×2 फिट) पोल क्योक्स 2 (3×2 फिट)	1,000.00	प्रति पोल/प्रतिवर्ष
4.	निजी भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
5.	निजी भवनों पर लगे विज्ञापन/होर्डिंग्स	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
6.	फ्लाईओवर कॉलम (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
7.	पुल/पुल के कॉलम पर (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
8.	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8×15 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
9.	निजी बस/पब्लिक बस एडवरटाईजिंग 4×15 फिट (दोनों साईड) बैक साइड 3×3 फिट	20.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
10.	डिलीवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष

क्र0 सं0	विवरण	दर (₹ में)	यूनिट
11.	डिमोस्टेशन वाहन	200.00	प्रतिदिन
12.	बिल्डिंग रैंप 80×20 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
13.	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3×5 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
14.	ट्री–गार्ड 1.5×1.5 फिट	25.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
15.	ट्रैफिक बैरीकटिंग	200.00	प्रति बैरीकैटिंग
16.	ट्रैफिक पोस्ट/पुलिस बूथ के ऊपर कियोस्क 2×3 फिट	160.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
17.	सार्वजनिक शौचालय दो साईड वाल 8×10 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
18.	रोड डिवाईडर/सड़क के किनारे यूनिपोल 20×10 लगाये जाने पर	150.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
19.	गैन्ट्री (स्वागत द्वार) रोड की सम्पूर्ण छोड़ने के पश्चात् लगाये जाने पर	150.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
20.	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए	200.00	प्रतिदिन प्रतिदिन
21.	इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए	5,000.00/ 500.00	प्रतिदिन
22	बस शैल्टर 26×5 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
23.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 3×2 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
24.	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	100.00	प्रति बैलून/ प्रतिवर्ष

12. नगरपालिका द्वारा विज्ञापन शुल्क का ठेका अनुमति 03 वर्ष के लिए दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष ठेके की धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

13. निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा–

    1. धार्मिक स्थल,
    2. नगरपालिका कार्यालय के आसपास।

14. नगरपालिका सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किए जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भाँति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए, ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहाँ दोनों ओर विज्ञापन लिखें होंगे, वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेंगे, इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5×3 फिट का होगा।

17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

18. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहे में जहाँ कि समय–समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल–बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।

19. पोल कियोस्क का साईज 2×3 फिट होगा।

20. सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे–शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

21. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

22. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

23. यूनियन रोड कॉंग्रेस द्वारा रोड साइन (आई0आर0सी0) 67–2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किए जाने वाले रंग एवं फोन्ट साईज ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे।

24. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा।

25. रोड पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से ₹ 25,000/–जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए, विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।

26. जनहित में नगरपालिका में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किए जायेंगे, उन पर सुन्दर, स्वच्छ, डोईवाला का स्लोगन प्रदर्शित किए जायेंगे तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स/यूनीपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

27. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए, एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 1,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 250.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डोईवाला, देहरादून में अन्तिम रूप में निहित होगा।

सार्वजनिक सूचना

23 मई, 2018 ई0

पत्रांक 62/उपविधि–प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–128(2), खण्ड (1)(2) एवं धारा–298 की उपधारा 2, खण्ड (ज) का (ड) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका सीमान्तर्गत मोबाइल टॉवरों की स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण हेतु "नगरपालिका मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2016" बनाई जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरपालिका मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2016

1. संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

   1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की "नगरपालिका मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2016" कहलायेगी।

   2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

2. परिभाषाएँः–

   (i) "उपविधि" से तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

   (ii) "नगरपालिका परिषद्" से तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 243(थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका परिषद् से है;

   (iii) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;

   (iv) "अध्यक्ष" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत निर्वाचित अध्यक्ष से है;

   (v) "बोर्ड" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत निर्वाचित बोर्ड से है;

   (vi) "निरीक्षण अधिकारी" से तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मोबाइल टॉवरों के निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है;

   (vii) "अधिनियम" से तात्पर्य, उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है;

   (viii) "मोबाइल टॉवर" से तात्पर्य, विभिन्न मोबाइल निजी कम्पनियों द्वारा नगरपालिका सीमान्तर्गत निजी, सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्तियों पर स्थापित मोबाइल टॉवर से है।

3. नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून द्वारा पालिका आय में वृद्धि एवं जनहित में नगरपालिका सीमान्तर्गत विभिन्न कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए या स्थापित किए जाने वाले मोबाइल टॉवरों के संचालन एवं नियन्त्रण हेतु निम्नलिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, डोईवाला के कार्यालय में आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगीः–

(क) पालिका सीमान्तर्गत वर्तमान में स्थापित मोबाइल टॉवर या भविष्य में स्थापित होने वाले मोबाइल टॉवर की मोबाइल कम्पनियाँ, निजी भूमि, छत, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सम्पत्तियों पर टॉवर लगाने से पूर्व नगरपालिका का शुल्क ₹ 5,000/– है, जमा कर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

(ख) डोईवाला शहर में जिस भूमि व स्थान पर मोबाइल टॉवर स्थापित है या स्थापित होना है, उसका मानचित्र कवर्ड भूमि का क्षेत्रफल एवं उस क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ग) मोबाइल कम्पनियों द्वारा भू–स्वामी से मोबाइल टॉवर लगाने हेतु किए गए अनुबन्ध की प्रति एवं टॉवर की क्षमता के प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे।

(घ) लोक सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत मोबाइल कम्पनियों द्वारा स्थापित टॉवर का तकनीकी परीक्षण कराकर जाँच रिपोर्ट की एक प्रति एवं जनस्वास्थ्य पर मोबाइल टॉवर द्वारा निकलने वाले रेडियेशन (तरंगे) आदि से कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा।

4. पालिका सीमान्तर्गत वर्तमान में स्थापित मोबाइल टॉवर कम्पनियों द्वारा भू–स्वामी से किए गए अनुबन्ध की प्रतियाँ, भूमि का क्षेत्रफल एवं निर्धारित मासिक एवं वार्षिक किराया की धनराशि व लीज का विवरण देना होगा। यदि मोबाइल कम्पनियों द्वारा यह विवरण नोटिस दिए जाने के 07 दिन के अन्दर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 एवं इस उपविधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

5. डोईवाला शहर में स्थापित होने की तिथि से मोबाइल टॉवर द्वारा कम्पनी को प्राप्त आय का विवरण अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले मोबाइल टॉवर की आय का विवरण प्रतिवर्ष नगरपालिका परिषद् को देना होगा।

6. नगरपालिका सीमान्तर्गत स्थापित मोबाइल टॉवर के अनुबन्धित किराया एवं डोईवाला शहर से कम्पनियों को प्राप्त आय पर निम्नलिखित शुल्क नगरपालिका कोष में जमा करने होंगेः–

क्र0 सं0	विवरण	कम्पनी से अनुबन्धित किराया पर शुल्क	सम्पत्ति स्वामी से अनुबन्धित किराया
1.	मोबाइल टॉवर से अनुबन्धित किराए पर शुल्क	12 प्रतिशत मासिक	एक माह का किराया

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) एवं "नगरपालिका मोबाइल टॉवर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2016" के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जिसके लिए कम से कम ₹ 5,000.00 एवं अधिक से अधिक ₹ 20,000.00 का अर्थदण्ड होगा।

सार्वजनिक सूचना

23 मई, 2018 ई0

पत्रांक 62/उपविधि–प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 की उपधारा–1, खण्ड (क) से (छ) के तहत सम्पत्ति/भवनकर अभिलेखों एवं सूचियों में नाम परिवर्तन एवं संशोधन हेतु "सम्पत्ति/भवनकर, नाम परिवर्तन एवं संशोधन उपविधि– 2016" बनाई गई हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"सम्पत्ति/भवनकर नाम परिवर्तन एवं संशोधन उपविधि–2016"

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः–

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून "सम्पत्ति/भवनकर, नाम परिवर्तन एवं संशोधन उपविधि–2016" कहलायेगी।

(ख) यह नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह नगरपालिका परिषद्, डोईवाला द्वारा प्रख्यापित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँः–

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "नगरपालिका" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमाओं से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(छ) "अभिलेखों" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून कार्यालय में सम्पत्ति/भवनकर अनुरक्षित दस्तावेजों, रजिस्टर व पत्रावली आदि अभिलेखों से हैं।

(ज) "नाम परिवर्तन" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमान्तर्गत प्रवृत्त अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) के नाम परिवर्तन एवं संशोधन से है।

3. नगरपालिका के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति (भूमि, भवन आदि) के प्रत्येक उस अध्यासी का जो उत्तराधिकारी, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या किसी अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार पर अचल सम्पत्ति की, जो उसके अध्यासन में है, स्वामी है या अपने आप को स्वामी समझता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर उसका कर्तव्य होगा कि वह इन उपविधियों के अन्तर्गत उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल खारिज की कार्यवाही हेतु प्रार्थना–पत्र अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4. उपरोक्त नियम 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थी को नगरपालिका के समस्त बकायों को, यदि कोई हो, के सम्पूर्ण अदायगी का प्रमाण–पत्र एवं दाखिल खारिज हेतु निर्धारित शुल्क, जिसका विवरण नियम–18 के अन्तर्गत अनुसूची में किया गया है, के अनुसार अदा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उसका प्रार्थना–पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5. दाखिल–खारिज हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क नगरपालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा एवं दाखिल–खारिज शुल्क प्रत्येक प्रार्थना–पत्र के लिए पृथक्–पृथक् भुगतान करना होगा, एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा और न ही इसका समायोजन किया जायेगा।

6. दाखिल–खारिज हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में निम्न विवरण अनिवार्य रूप से देने होंगे–

   (क) अचल सम्पत्ति (भूमि या भवन आदि) की संख्या एवं क्षेत्रफल;

   (ख) चौहद्दी;

   (ग) नगरपालिका अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रवृष्टि का विवरण;

   (घ) मार्ग एंव मोहल्ले का नाम, जिसमें अचल सम्पत्ति स्थित हो;

   (ङ) उत्तराधिकार, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार व दस्तावेज (जोकि किसी स्तर पर नियमानुसार पंजीकृत अवश्य हो);

   (च) उन व्यक्तियों के नाम, जिनको प्रार्थी अपने पक्ष में गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है;

   (छ) अचल सम्पत्ति (भूमि एवं भवन आदि) की माप।

7. प्रार्थना–पत्र कार्यालय में प्राप्त होने पर मौके की जाँच हेतु किसी भी नगरपालिका कर्मचारी को आदेश किया जायेगा, जो अपनी जाँच रिपोर्ट एक सप्ताह में देगा।

8. नाम परिवर्तन, संशोधन सूचना का प्रकाशन सम्पत्ति से सम्बन्धित पक्षों के सूचनार्थ स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में किया जायेगा, यदि सम्पत्ति स्वामी उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों अथवा दूसरे राज्यों के निवासी है तो इश्तिहार (सूचना) उन स्थानों पर व्यापक रूप से प्रचलित समाचार–पत्र अथवा राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित होगा। स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशित सूचना के बिलों का भुगतान पालिका द्वारा किया जायेगा और उत्तराखण्ड या अन्य राज्यों से प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र एवं दैनिक राष्ट्रीय समाचार–पत्र के बिलों का भुगतान आवेदक द्वारा ही किया जायेगा।

9. इश्तिहार जारी होने के बाद इस अचल सम्पत्ति के लिए दाखिल–खारिज हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इश्तिहार जारी होने के 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति निर्धारित शुल्क जमा कर साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगा।

10. आपत्तिकर्ता को आपत्ति के साथ नगरपालिका के समस्त बकाया करों की अदायगी का प्रमाण–पत्र पेश करना होगा, इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता आपत्ति रसीद संलग्न करेगा, तभी उसकी आपत्ति स्वीकार की जायेगी अन्यथा निरस्त कर दी जायेगी।

11. यदि आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त कर दी जाती है तो आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति के साथ जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

12. दाखिल–खारिज की कार्यवाही के दौरान समस्त साक्ष्य लिखित एवं गवाहों के रूप में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करने होंगे।

13. समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण हो जाने पर दाखिल–खारिज, प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में कर दिया जायेगा। उसकी सूचना/आदेश का संक्षिप्त सार रजिस्टर व कर निर्धारण सूची तथा माँग वसूली रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

14. दाखिल–खारिज की कार्यवाही के दौरान कोई विवाद स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य बिन्दु पर उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष नगरपालिका का निर्णय अन्तिम होगा।

15. दाखिल–खारिज की कार्यवाही के दौरान यदि कोई पक्ष कार्यवाही के विरूद्ध न्यायालय में निषेधाज्ञा प्रस्तुत करता है, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दाखिल–खारिज की कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक रोक दी जायेगी।

16. दाखिल–खारिज की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने के उपरान्त किसी पक्ष के मा0 न्यायालय में जाने पर मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके प्रार्थना–पत्र पर तद्नुसार अभिलेख में संशोधन कर दिया जायेगा।

17. नाम परिवर्तन संशोधन (दाखिल–खारिज) की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 60 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी।

18. नाम परिवर्तन, संशोधन (दाखिल–खारिज) करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित शुल्क लिया जायेगाः–

अनुसूची–शुल्क (धनराशि में)

(क)	आवासीय भवनों का रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क	3,500.00
(ख)	व्यवसायिक भवन, दुकान का रजिस्टर्ड बैनामे पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क	6,000.00
(ग)	आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के बैनामे पर लगने वाले स्टॉम्प का मूल्य, यदि (आवासीय हेतु ₹ 1.00 लाख एवं व्यवसायिक भवन हेतु ₹ 1.50 लाख) से अधिक है तो अधिक स्टॉम्प की धनराशि पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा।	2 प्रतिशत

(घ)	विरासतन/मृत्यु प्रमाण–पत्र/दान पत्र/के आधार पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क	
	आवासीय–	3,000.00
	व्यवसायिक–	5,000.00
(ङ)	भूमि/प्लॉट रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर अभिलेखों में अंकन एवं नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क	4,000.00
(च)	भवनकर सूचियों में नाम अंकन, नाम परिवर्तन एवं संशोधन हेतु आवेदन–पत्र शुल्क	500.00
(छ)	आपत्ति शुल्क	500.00
(ज)	भवनकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन एवं संशोधन में सम्पत्ति स्वामी द्वारा बैंक या वित्तीय कम्पनी से ऋण लिए जाने बाबत् सम्पत्ति का पालिका अभिलेखों में मोडगेज अंकित किए जाने बावत् शुल्क	
	₹ 10.00 लाख की सीमा तक–	500.00
	10.00 लाख से अधिक ऋण की धनराशि पर–	01 प्रतिशत
	मुक्ति	
	धार्मिक और राजकीय शिक्षण संस्थाएँ नाम परिवर्तन, संशोधन शुल्क से मुक्त रहेंगे	

शास्ति

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिए गए किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अर्थ–दण्ड किया जायेगा, जो ₹ 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो प्रथम दोषसिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, ₹ 2,50.00 प्रति दिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

सार्वजनिक सूचना

23 मई, 2018 ई0

पत्रांक 62/उपविधि–प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा–2, खण्ड (ञ) का (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पालिका अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण या उनकी प्रतियों की नकल दिए जाने के लिए "नगरपालिका नकल व प्रमाण–पत्र शुल्क उपविधि–2016" बनाई जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरपालिका नकल व प्रमाण–पत्र शुल्क उपविधि–2016

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः–

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून "नगरपालिका नकल शुल्क/प्रमाण–पत्र उपविधि–2016" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँः–

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "नगरपालिका" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की सीमाओं से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(छ) "अनुज्ञा" का तात्पर्य, इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से हैं।

3. अधिनियम द्वारा व्यवस्थित या उसके अधीन से भिन्न के सिवाय नगरपालिका, परिषद्, डोईवाला से सम्बन्धित या उसके कब्जे में रखे किसी अभिलेख या दस्तावेज की कोई प्रति या उससे उद्धरण नहीं दिया जायेगा, न ही किसी ऐसे व्यक्ति को किसी अभिलेख या दस्तावेज की निरीक्षण की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना दी जायेगी।

4. उपर्युक्त के सिवाय, कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे अभिलेख या दस्तावेज का निरीक्षण करना चाहे अथवा उसकी कोई प्रति या उसके उद्धरण प्राप्त करना चाहे, अधिशासी अधिकारी को लिखित आवेदन–पत्र देगा, जिसमें अभिलेख या दस्तावेज का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जायेगा। आवेदन–पत्र पर न्यायालय फीस स्टॉम्प लगाया जायेगा।

5. नगरपालिका परिषद्, डोईवाला तथा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी अधिकारी के बीच पत्र व्यवहार जहाँ अधिशासी अधिकारी के विचार में उनका निरीक्षण किसी प्रकार से नगरपालिका परिषद् के हित के लिए हानिकार हो, निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी, ऐसे अभिलेखों से उद्धरणों के प्रतियाँ भी अस्वीकार कर दी जायेगी।

6. किसी ऐसे दस्तावेज से कोई उद्धरण नहीं दिया जायेगा, जिसको शेष पत्रावली से पृथक पढ़ने पर नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, अध्यक्ष या कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश का गलत प्रयोग हो जाता हो।

निरीक्षण, नकल एवं प्रमाण–पत्र शुल्क दरें:–

(क)	कार्यवृत्त पुस्तक, कर निर्धारण सूची से भिन्न किसी दस्तावेज या अभिलेख निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने पर	₹ 50
(ख)	किसी दस्तावेज का पता लगाने या खोज के प्रयोजनार्थ किसी अनुक्रमणिका रजिस्टर की छानबीन के लिए प्रत्येक वर्ष की छानबीन हेतु	₹ 30
(ग)	(य) किसी दस्तावेज या कार्यालय अभिलेख से प्रतिलिपि या उद्धरण बनाने के लिए	₹ 200 की न्यूनतम फीस के अधीन रहते हुए 60 शब्दों से अधिक के प्रति पृष्ठ या किसी पृष्ठ के आगे के लिए ₹ 50.00
	(र) यदि मूल सारणीबद्ध रूप में हो	(य) के लिए प्रभार से दो गुना
(घ)	विविध प्रमाण–पत्र शुल्क	₹ 50.00

सार्वजनिक सूचना

23 मई, 2018 ई0

पत्रांक 62/उपविधि–प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा–2, खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2016" बनाई जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2016

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2016" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषाएँः–

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

(ii) "उपविधि" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

(iii) "नगरपालिका" से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून से है;

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगरपालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) "नियम" से अभिप्रेत, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये से है।

(viii) "अधिनियम" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है, जिनका सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।

(xi) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste) से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लॉस्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण (Collection)" से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद बनाने (Composting)" एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste)" से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिकरण (Landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव क लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" में, म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" का अभिप्रेत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक (Operator of facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) "पुनःचक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा परिचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. यह कि उपविधि में दिए गए किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार ₹ 200.00 दूसरी बार पर ₹ 500.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00, द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,500.00 की अर्थ दण्ड (penalty) देना होगा।

18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत् है:–

अनुसूची–1

सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	10	15	20	25
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15	20	25	30
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
5.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बरातघर	1000	1500	1000	1500
9.	बेकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय	50	100	50	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	20	25	25	25

1	2	3	4	5	6
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
16.	फैक्ट्री	200	400	300	250
17.	वर्कशाप/कबाड़ी	1000	1500	500	700
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/ विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य, जैसे–भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा आदि पर उपरोक्त दरें लागू नहीं होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5000.00 (रु0 पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डोईवाला, देहरादून में निहित होगा।

बी0 एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
डोईवाला, देहरादून।

कोमल कन्नौजिया,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
डोईवाला, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/434–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।